[2019] 1 उम. नि. प. 66

केहर सिंह (मृत) मार्फत इसके विधिक प्रतिनिधिगण और अन्य

बनाम

नचित्तर कौर और अन्य

20 अगस्त, 2018

न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल

संविधान, 1950 – अनुच्छेद 133 [सपठित पंजाब प्रथा (प्रतिवाद करने की शक्ति) संशोधन अधिनियम, 1973 और मुल्ला का हिन्दू विधि, 22वां संस्करण का अनुच्छेद 254 और 241] – अपील – हिन्दू सहदायिक कुटुम्ब के कर्ता द्वारा अविभाजित संपत्ति का विक्रय करना – विक्रय करने के विधिक आवश्यकता का विद्यमान होना – सहदायिकों में से एक के द्वारा ऐसे विक्रय को चुनौती दिया जाना – चुनौती खारिज होना – यदि अभिलेख पर के साक्ष्यों से यह साबित होता है कि एक हिन्दू सहदायिक कुटुम्ब के कर्ता द्वारा कुटुम्ब की विधिक आवश्यकता और कुटुम्ब के सदस्यों के भरणपोषण के लिए कुटुम्ब की अविभाजित संपत्ति का विक्रय किया जाता है तो ऐसे विक्रय युक्तियुक्त और विधिमान्य होता है और इसे किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दिया जा सकता है ।

इस अपील में विवाद्यक, पुत्र, पिता और पिता से वाद भूमि के क्रेताओं के बीच में है । प्रीतम सिंह (प्रतिवादी सं. 1) वाद भूमि का स्वामी था । उसने तारीख 25 अप्रैल, 1960 को वाद भूमि का 19,500/- रुपए के प्रतिफल के एवज में रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख द्वारा तारा सिंह (प्रतिवादी सं. 2) और अजित सिंह (प्रतिवादी सं. 3) को विक्रय किया था । दोनों क्रेता अर्थात् तारा सिंह और अजित सिंह वाद भूमि के कब्जे में आ गए थे । तारीख 27 नवम्बर, 1964 को केहर सिंह पुत्र प्रीतम सिंह ने उप-न्यायाधीश, द्वितीय श्रेणी, लुधियाना के न्यायालय में तारा सिंह और अजित सिंह के विरुद्ध एक सिविल वाद (1964 की वाद संख्या 429/325) फाइल किया । प्रतिवादियों ने वाद का विरोध किया । उनके अनुसार, वाद भूमि पैतृक संपत्ति नहीं है, कि पक्षकार किसी प्रथा द्वारा शासित नहीं है, कि प्रश्नगत विक्रय विलेख, प्रतिफल और कुटुम्ब की विधिक आवश्यकता के लिए निष्पादित किया गया था, कि विक्रय, कुटुम्ब के ऋणों के उन्मोचन के लिए और कृषि में सुधार के लिए किया गया था, कि प्रतिवादी सं. 2 और 3, प्रतिफल के एवज में वाद भूमि के सद्भाविक क्रेता हैं । विचारण

न्यायालय ने विवाद्यक विरचित किया । पक्षकारों ने अपना साक्ष्य प्रस्तुत किया । विचारण न्यायालय ने तारीख 17 दिसम्बर, 1966 के निर्णय/डिक्री द्वारा वादी का वाद डिक्री कर दिया । यह अभिनिर्धारित किया कि वाद भूमि पैतृक संपत्ति है और वाद भूमि का विक्रय करने के लिए कोई विधिक आवश्यकता नहीं थी । प्रतिवादी सं. 2 और 3 व्यथित हुए और इसके विरुद्ध प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील (1967 की सी. ए. सं. 31) फाइल की । प्रथम अपील न्यायालय ने तारीख 11 जून, 1968 के निर्णय/डिक्री द्वारा प्रतिवादियों की अपील को भागतः मंजूर कर लिया और विचारण न्यायालय के निर्णय/डिक्री को उपांतरित कर दिया । प्रथम अपील न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि वाद भूमि, कुटुम्ब की एक पैतृक संपत्ति थी, कि वाद के पक्षकार प्रथा द्वारा शासित हैं, कि प्रतिवादी सं. 2 और 3 अंशतः 7,399/- रुपए तक की कुटुम्ब की विधिक आवश्यकता को साबित करने में समर्थ रहे हैं और अंततः, इसलिए, प्रीतम सिंह के उत्तरभोगियों को प्रीतम सिंह द्वारा लिए गए 7,399/- रुपए की रकम को चुकता करने के पश्चात् वाद भूमि का कब्जा लेने का अधिकार होगा और प्रश्नगत विक्रय उसके हित उत्तरभोगियों पर आबद्धकर नहीं होगा । प्रत्यर्थी सं. 2 और 3 (वाद भूमि के क्रेता) व्यथित हुए और उच्च न्यायालय के समक्ष द्वितीय अपील फाइल की । द्वितीय अपील लंबित रहने के दौरान, पंजाब प्रथा (प्रतिवाद करने की शक्ति) संशोधन अधिनियम,1973 पारित हुआ जो तारीख 23 जनवरी, 1973 को तत्काल प्रभाव से प्रवर्तन में आया । उच्च न्यायालय ने तारीख 22 अप्रैल, 1974 के आदेश द्वारा द्वितीय अपील को मंजूर कर लिया और वाद को खारिज कर दिया, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि संशोधन अधिनियम, 1973, भूतलक्षी प्रकृति का है और इसलिए, संशोधन के प्रकाश में, वादी को अपने पिता द्वारा सुसंगत समय पर अभिभावी प्रथा के अधीन किए गए अन्यसंक्रामण करने के हक को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं था । वादी, व्यथित महसूस किया और इस न्यायालय में अपील फाइल किया । माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – न्यायालय की सुविचारित राय में, विधिक आवश्यकता के इस प्रश्न पर उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कारण और निकाले गए निष्कर्ष कि क्या प्रीतम सिंह द्वारा वाद भूमि का विक्रय करते समय इस मामले में विधिक आवश्यकता विद्यमान थी या नहीं, इसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उच्च न्यायालय द्वारा अभिलेख पर के साक्ष्यों का मूल्यांकन करते हुए, सही ही विचार व्यक्त किया गया है । साक्ष्य में

यह आया है कि प्रथमतः, कुटुम्ब पर दो ऋण धारित थे और द्वितीयतः, कुटुम्ब को, कुटुम्ब से संबंधित कृषि भूमि में सुधार करने के लिए भी धन की आवश्यकता थी । प्रीतम सिंह को कुटुम्ब का कर्ता होने के नाते ऋण दायित्व का उन्मोचन करने के लिए कुटुम्ब से संबंधित वाद भूमि का विक्रय करने और अपने कुटुम्ब के भरण-पोषण के लिए कृषि भूमि में सुधार करने के लिए कुछ धन खर्च करने का सभी प्रकार से अधिकार था । न्यायालय की सुविचारित राय में, इसलिए, कर्ता (प्रीतम सिंह) द्वारा पैतृक संपत्ति का विक्रय करने के लिए विधिक आवश्यकता तथ्यों पर आधारित था । दूसरे शब्दों में, प्रतिवादी अपने इस भार का निर्वहन करने में समर्थ हुए हैं कि उनके द्वारा यह साबित कर दिया गया है कि प्रतिवादी सं. 2 और 3 के पास वाद भूमि का विक्रय करने के लिए विधिक आवश्यकता विद्यमान थी । इस प्रकार प्रतिवादियों ने हिन्दू विधि में अधिकथित परीक्षण का समाधन कर दिया है जैसा कि उपर्युक्त उद्धृत मुल्ला द्वारा अनुच्छेद 254(2) के साथ पठित अनुच्छेद 241(क)(छ) में है । हमारे मत में, जब एक बार विधिक आवश्यकता की विद्यमानता के तथ्य साबित हो जाते हैं तो किसी भी सहदायिक (पुत्र) को अपने कुटुम्ब के कर्ता द्वारा किए गए विक्रय को चुनौती देने का अधिकार नहीं होता है । वादी, पुत्र होने के नाते अपने पिता-प्रीतम सिंह के साथ सहदायिकों में से एक है । उसे उसके विरुद्ध अभिलिखित होने के नाते विधिक आवश्यकता के निष्कर्ष के प्रकाश में, ऐसे विक्रय को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है । इतना ही नहीं, वादी किसी भी साक्ष्य द्वारा यह साबित करने में असफल रहा है कि वाद भूमि का विक्रय करने के लिए कोई विधिक आवश्यकता नहीं थी अथवा यह कि विधिक आवश्यकता के विद्यमानता के तथ्य को साबित करने के लिए प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य या तो अपर्याप्त था या असुसंगत था या किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं था । (पैरा 25, 26, 27 और 28)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[1991] ए. आई. आर. 1991 एस. सी. 1654 :
दर्शन सिंह बनाम **राम पाल सिंह और एक अन्य** ; 15

[1974] 1974 पी. एल. आर. 125 :
चरण सिंह बनाम **गेहल सिंह** । 14

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2011 की सिविल अपील सं. 3264.

संविधान, 1950 के अनुच्छेद 133 के अधीन अपील ।

उपस्थित होने वाले पक्षकारों की ओर से (सुश्री) ज्योति मेन्दिरत्ता, सर्वश्री गगन गुप्ता, अभिषेक आत्रे, पी. एन. पुरी, अभिषेक पुरी, और (सुश्री) रीता दिवान पुरी, अधिवक्तागण

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे ने दिया ।

न्या. सप्रे – यह अपील, मूल वादी के विधिक प्रतिनिधियों ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ द्वारा 1968 की आर. एस. ए. संख्या 1734 में पारित तारीख 20 अप्रैल, 2006 के अंतिम निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थियों (प्रतिवादियों) द्वारा फाइल अपील को मंजूर कर लिया था और मूल वादी द्वारा फाइल वाद को खारिज कर दिया था ।

2. अपील में अंतर्वलित तथ्यात्मक और विधिक संविवाद का मूल्यांकन करने के अनुक्रम में, संक्षिप्ततः तथ्यों का कथन करना आवश्यक है ।

3. अपीलार्थी, मूल वादी के विधिक प्रतिनिधि हैं जबकि प्रत्यर्थी मूल प्रतिवादियों के विधिक प्रतिनिधि हैं जिन्हें वादी और प्रतिवादियों की मृत्यु होने के परिणामस्वरूप इस मुकदमें के लंबित रहने के दौरान अभिलेख पर लाया गया था ।

4. इस अपील में विवाद्यक, पुत्र, पिता और पिता से वाद भूमि के क्रेताओं के बीच में है । यह ग्राम भमियान कलां, तहसील-लुधियाना में स्थित जमाबंदी 1962-63, खाता संख्या 2/2 में वर्तमान प्रविष्टि पर जमाबंदी 1957-58, खाता संख्या 6/9 में प्रविष्ट लगभग 164 कनाल, 1 मारला आयाताकार संख्या 46 में प्रविष्ट किला संख्या 8/1, 19/2, 21/2, 22/2, 23, 24 और आयाताकार संख्या 52, किला संख्या 1/2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12/1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25 भूमि (जिसे इसमें इसके पश्चात् "वाद भूमि" कहा गया है) से संबंधित है ।

5. प्रीतम सिंह (प्रतिवादी सं. 1) वाद भूमि का स्वामी था । उसने तारीख 25 अप्रैल, 1960 को वाद भूमि का 19,500/- रुपए के प्रतिफल के एवज में रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख द्वारा तारा सिंह (प्रतिवादी सं. 2) और अजित सिंह (प्रतिवादी सं. 3) को विक्रय किया था । दोनों क्रेता अर्थात् तारा सिंह और अजित सिंह वाद भूमि के कब्जे में आ गए थे ।

6. तारीख 27 नवम्बर, 1964 को केहर सिंह पुत्र प्रीतम सिंह ने उप-

न्यायाधीश, द्वितीय श्रेणी, लुधियाना के न्यायालय में तारा सिंह और अजित सिंह के विरुद्ध एक सिविल वाद (1964 की वाद संख्या 429/325) फाइल किया ।

7. वाद, अन्य अभिकथनों के साथ-साथ इस पर आधारित था कि वाद भूमि उस कुटुम्ब की पैतृक संपत्ति थी और निरंतर बनी हुई है, जिसका वादी अपने पिता-प्रीतम सिंह के साथ इनके सदस्यों में से एक सदस्य है, कि वादी का कुटुम्ब उस प्रथा द्वारा शासित है जो कुटुम्ब सदस्यों के बीच कुटुम्ब संपत्तियों के विक्रय में लागू होता है, की वादी का सहदायिकों में से एक होने के नाते अपने पिता-प्रीतम सिंह के साथ वाद भूमि में एक हिस्सा है, कि प्रीतम सिंह को वादी की सहमति के बिना वाद भूमि का विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं था, जिसे उसने वाद भूमि का विक्रय करने के लिए अपने पिता को कभी भी दी है, कि कुटुम्ब की ऐसी कोई विधिक आवश्यकता नहीं थी जो प्रीतम सिंह को वाद भूमि का विक्रय प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को करने की अनुज्ञा देती है, कि वाद भूमि और वाद भूमि के पक्षकारों के अधिकार पंजाब प्रथा (प्रतिवाद करने की शक्ति) अधिनियम, 1920 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अधिनियम" कहा गया है) के उपबंधों द्वारा शासित हैं ।

8. वादी ने पूर्वोक्त उल्लिखित अभिकथनों के आधार पर यह घोषणा करने के अनुतोष के लिए प्रार्थना की कि प्रथमतः, उसके पिता-प्रीतम सिंह द्वारा वाद भूमि के संबंध में तारीख 25 अप्रैल, 1960 के विक्रय विलेख द्वारा तारा सिंह और अजित सिंह के पक्ष में किए गए विक्रय को वादी पर आबद्धकर नहीं होना घोषित किया जाए, द्वितीयतः, प्रश्नगत विक्रय को शून्य घोषित किया जाए और प्रतिवादी सं. 2 और 3 के पक्ष में कोई अधिकार, हक और हित अंतरित नहीं किया जाए ।

9. प्रतिवादियों ने वाद का विरोध किया । उनके अनुसार, वाद भूमि पैतृक संपत्ति नहीं है, कि पक्षकार किसी प्रथा द्वारा शासित नहीं है, कि प्रश्नगत विक्रय विलेख, प्रतिफल और कुटुम्ब की विधिक आवश्यकता के लिए निष्पादित किया गया था, कि विक्रय, कुटुम्ब के ऋणों के उन्मोचन के लिए और कृषि में सुधार के लिए किया गया था, कि प्रतिवादी सं. 2 और 3, प्रतिफल के एवज में वाद भूमि के सद्भाविक क्रेता हैं ।

10. विचारण न्यायालय ने विवाद्यक विरचित किया । पक्षकारों ने अपना साक्ष्य प्रस्तुत किया । विचारण न्यायालय ने तारीख 17 दिसम्बर,

1966 के निर्णय/डिक्री द्वारा वादी का वाद डिक्री कर दिया । यह अभिनिर्धारित किया कि वाद भूमि पैतृक संपत्ति है और वाद भूमि का विक्रय करने के लिए कोई विधिक आवश्यकता नहीं थी ।

11. प्रतिवादी सं. 2 और 3 व्यथित हुए और इसके विरुद्ध प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील (1967 की सी. ए. सं. 31) फाइल की । प्रथम अपील न्यायालय ने तारीख 11 जून, 1968 के निर्णय/डिक्री द्वारा प्रतिवादियों की अपील को भागतः मंजूर कर लिया और विचारण न्यायालय के निर्णय/डिक्री को उपांतरित कर दिया ।

12. प्रथम अपील न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि वाद भूमि, कुटुम्ब की एक पैतृक संपत्ति थी, कि वाद के पक्षकार प्रथा द्वारा शासित हैं, कि प्रतिवादी सं. 2 और 3 अंशतः 7,399/- रुपए तक की कुटुम्ब की विधिक आवश्यकता को साबित करने में समर्थ रहे हैं और अंततः, इसलिए, प्रीतम सिंह के उत्तरभोगियों को प्रीतम सिंह द्वारा लिए गए 7,399/- रुपए की रकम को चुकता करने के पश्चात् वाद भूमि का कब्जा लेने का अधिकार होगा और प्रश्नगत विक्रय उसके हित उत्तरभोगियों पर आबद्धकर नहीं होगा ।

13. प्रत्यर्थी सं. 2 और 3 (वाद भूमि के क्रेता) व्यथित हुए और उच्च न्यायालय के समक्ष द्वितीय अपील फाइल किए । द्वितीय अपील लंबित रहने के दौरान, पंजाब प्रथा (प्रतिवाद करने की शक्ति) संशोधन अधिनियम, 1973 पारित हुआ जो तारीख 23 जनवरी, 1973 को तत्काल प्रभाव से प्रवर्तन में आया ।

14. उच्च न्यायालय ने तारीख 22 अप्रैल, 1974 के आदेश द्वारा द्वितीय अपील को मंजूर कर लिया और **चरण सिंह** बनाम **गेहल सिंह**[1] वाले मामले में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि को ध्यान में रखते हुए, वाद को खारिज कर दिया, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि संशोधन अधिनियम, 1973, भूतलक्षी प्रकृति का है और इसलिए, संशोधन के प्रकाश में, वादी को अपने पिता द्वारा सुसंगत समय पर अभिभावी प्रथा के अधीन किए गए अन्यसंक्रामण करने के हक को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं था ।

15. वादी, व्यथित महसूस किया और इस न्यायालय में अपील फाइल किया । इस न्यायालय ने अन्य अपीलों जिनमें इसी प्रकार के मुद्दे में

---

[1] 1974 पी. एल. आर. 125.

अंतर्वलित थे, के साथ उक्त अपील का निपटारा किया । (देखें : **दर्शन सिंह** बनाम **राम पाल सिंह और एक अन्य**[1]) । इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि 1973 का संशोधन, अधिनियम में भूतलक्षी प्रकृति का था और यह कि **चरण सिंह** (उपर्युक्त) वाले मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि सही है और इसे पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं है । यह भी अभिनिर्धारित किया कि चूंकि उच्च न्यायालय ने द्वितीय अपील विनिश्चित करते समय हिन्दू विधि के सिद्धांतों के संदर्भ में अपील में अंतर्वलित प्रश्न की परीक्षा नहीं की है, इसलिए, मामले को हिन्दू विधि के सिद्धांतों के प्रकाश में नए सिरे से द्वितीय अपील का विनिश्चय करने के लिए उच्च न्यायालय के पास वापस भेजा जाता है । इस मामले को द्वितीय अपील में ही नए सिरे से विनिश्चित करने के लिए उच्च न्यायालय के पास वापस भेजा गया ।

16. प्रतिप्रेषण पर, उच्च न्यायालय ने पक्षकारों से यह पूछा कि क्या वे इस न्यायालय द्वारा यथानिर्देशित अपील का विनिश्चय करने में उच्च न्यायालय को समर्थ बनाने हेतु अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहते हैं । पक्षकारों ने यह कथन किया वे कोई अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं और उच्च न्यायालय पहले से ही प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अपील का विनिश्चय कर सकता है ।

17. आक्षेपित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों द्वारा फाइल को मंजूर कर लिया और वाद को खारिज कर दिया । यह अभिनिर्धारित किया कि वाद भूमि कुटुम्ब की एक पैतृक संपत्ति है, कि प्रीतम सिंह को कर्ता होने के नाते वाद भूमि का विक्रय करने का अधिकार था, कि कुटुम्ब की विधिक आवश्यकता विद्यमान थी, जिसके लिए वाद भूमि को कर्ता द्वारा विक्रय करना अपेक्षित था, कि कुटुम्ब पर दो ऋण (टक्कावी ऋण और एक प्राइवेट ऋण) बकाया था और द्वितीयतः, कुटुम्ब के पास एक कृषि भूमि थी जिसमें सुधार करने की आवश्यकता थी, कि ऋण दायित्व को उन्मुक्त करने और भूमि पर सुधार करने को ध्यान में रखते हुए, कर्ता-प्रीतम सिंह ने मूल्यवान प्रतिफल के एवज में वाद भूमि का विक्रय किया था, कि इन तथ्यों का प्रश्नगत विक्रय विलेख में सम्यक् रूप से उल्लेख है, कि इसलिए, विक्रय, सद्भाविक, विधिक और मूल्यवान प्रतिफल के एवज में किया गया था । इसलिए, यह वादी पर आबद्धकर है ।

18. वादी व्यथित महसूस किया और इस न्यायालय में विशेष इजाजत

---

[1] ए. आई. आर. 1991 एस. सी. 1654.

के माध्यम से वर्तमान अपील फाइल की ।

19. पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल को सुना ।

20. मुख्य प्रश्न, जो इस अपील में विचार के लिए अंतर्वलित है, वह है कि क्या उच्च न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने में न्यायोचित था कि प्रतिवादी सं. 1-प्रीतम सिंह द्वारा प्रतिवादी सं. 2 और 3 के पक्ष में किया गया विक्रय विधिक आवश्यकता के लिए था और यदि ऐसा था तो क्या यह विधिक और विधिमान्य विक्रय था ।

21. जहां तक वाद भूमि की प्रकृति और स्वभाव का संबंध है, इसे पैतृक भूमि के रूप में अभिनिर्धारित किया गया था और चूंकि इस निष्कर्ष को कोई चुनौती नहीं दी गई थी, इसलिए, इस अपील में इस प्रश्न की परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है ।

22. मुल्ला ने अपने क्लासिक वर्क 'हिन्दू लॉ' के अनुच्छेद 254 में उक्त पैतृक संपत्ति के अन्यसंक्रामण करने के पिता के अधिकार पर विचार किया है जो इस प्रकार है :–

"अनुच्छेद 254

254. पिता द्वारा अन्यसंक्रामण – एक हिन्दू पिता के पास सहदायिकी संपत्ति का अन्यसंक्रामण करने की विशेष शक्तियां होती हैं, जिसमें अन्य सहदायिक नहीं होते हैं । इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वह :

(1) वह पैतृक चल संपत्ति का अनुच्छेद 223 में उल्लिखित सीमा तक और पैतृक अचल संपत्ति का भी अनुच्छेद 224 में उल्लिखित सीमा तक दान में दे सकता है ;

(2) पैतृक संपत्ति, चाहे चल या अचल संपत्ति हो जिसमें उसके पुत्रों, प्रपौत्रों और पर-प्रपौत्रों के हित सम्मिलित हैं, अपने स्वयं के ऋण का संदाय करने के लिए विक्रय या बंधक कर सकता है, परंतु ऋण पूर्ववर्ती ऋण होने चाहिए और अनैतिक या अवैध प्रयोजनों के लिए नहीं होना चाहिए ।" (अनुच्छेद 294) ।

23. विधिक आवश्यकता क्या है, इसे मुल्ला द्वारा अनुच्छेद 241 में अतिसूक्ष्मता से वर्णित किया गया है, जो इस प्रकार है :–

"अनुच्छेद 241

241. विधिक आवश्यकता क्या है – अनुच्छेद 240 के

अर्थान्तर्गत कुटुम्ब आवश्यकताओं में निम्नलिखित को अभिनिर्धारित किया गया है :–

(क) सरकारी राजस्व का संदाय और उसके ऋण जो कुटुम्ब संपत्ति पर देय हैं,

(ख) सहदायिकों और उनके कुटुम्बों के सदस्यों का भरणपोषण,

(ग) पुरुष सहदायिकों और सहदायिकों के पुत्रियों के विवाह खर्चे,

(घ) आवश्यक दाह संस्कार या कुटुम्ब समारोहों के आयोजन,

(ङ) संपदा वसूली या संरक्षित रखने में आवश्यक मुकदमे के खर्चे,

(च) संयुक्त कुटुम्ब या किसी अन्य सदस्य जिसके विरुद्ध गंभीर आपराधिक आरोप हैं, के शीर्ष में बचाव करने के खर्चे,

(छ) कुटुम्ब कारबार या अन्य आवश्यक प्रयोजन के लिए, लिए गए ऋणों का संदाय । पिता के अलावा प्रबंधक की दशा में, मात्र यह दर्शित करना पर्याप्त नहीं है कि ऋण, एक पूर्व-विद्यमान ऋण है,

उपर्युक्त, यह निष्कर्ष निकालने के लिए मात्र अवयव नहीं है कि क्या अन्यसंक्रामण, विधिक आवश्यकता के लिए आवश्यक था न ही विधिक आवश्यकता सिद्ध करने के लिए अक्षरशः या अनुमान तौर पर कसौटी पर खरा उतरता है । इसलिए, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर होना चाहिए । इसलिए, जब संपत्ति का, कुटुम्ब कारबार में उपगत खर्चें पर कर बाध्यता को पूरा करने के लिए विक्रय किया जाता है तो ऐसे अन्यसंक्रामण को विधिक आवश्यकता गठित करने के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है ।"

(देखें : मुल्ला का हिन्दू विधि, 22वां संस्करण)

24. उच्च न्यायालय ने पूर्वोक्त उल्लिखित हिन्दू विधि के विधिक सिद्धांतों का उल्लेख करने के पश्चात्, पैरा 12 में तथ्यों के इस प्रश्न पर विचार किया जो इस प्रकार है :–

"पूर्वोक्त विधिक प्रतिपादना के प्रकाश में, अब यह परीक्षा करना है कि क्या प्रतिवादियों ने आक्षेपित विक्रय विलेख के समय पर विधिक आवश्यकता की विद्यमानता को साबित करने के अपने भार

का निर्वहन किया है । प्रतिवादी तारा सिंह, प्रतिवादी साक्षी 13 के रूप में उपस्थित होते हुए, यह कथन किया है कि 5,500/- रुपए उसके द्वारा अग्रिम धन के रूप में संदत्त किया गया था, 500/- रुपए तकावी ऋण का संदाय और विक्रय विलेख की रजिस्ट्रीकरण के लिए खर्च किया गया था और 934/- रुपए विक्रय विलेख की रजिस्ट्रीकरण के लगभग 3-4 दिन पूर्व विक्रेता को संदत्त किया गया था, 12,566/- रुपए की रकम तकावी ऋण का संदाय करने के लिए विक्रय विलेख की रजिस्ट्रीकरण के समय पर संदत्त किया गया था । प्रतिवादी साक्षी 1 श्री गोपाल, जो डी सी कार्यालय, लुधियाना में एक सहायक था, ने यह कथन किया है कि प्रीतम सिंह, विक्रेता को वर्ष 1995 में 3,000/- रुपए का ऋण मंजूर किया गया था और उसने तारीख 20 नवम्बर, 1964 तक उक्त ऋण का एक पेन्नी भी संदाय नहीं किया है । प्रतिवादी साक्षी 2 राम दास, एक ट्यूबवेल मैकेनिक ने यह साबित किया है कि प्रीतम सिंह वर्ष 1963 में ट्यूबवेल लगवाने के लिए 4,000/- रुपए खर्च किया था । प्रतिवादी साक्षी 9 सत पाल, अतिरिक्त वासिल बाका निवास, लुधियाना ने यह साबित किया है कि विक्रेता प्रीतम सिंह ने बीजो का थैला क्रय करने के लिए विभाग से कतिपय ऋण लिया था । 500/- रुपए गृह का पुनर्निर्माण करने के लिए और 2,500/- रुपए पम्पिंग सेट क्रय करने के लिए ऋण लिया था । इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि प्रीतम सिंह ने वर्ष 1961 में उससे 1025/- रुपए रिहाड़ी क्रय करने के लिए लिया था । प्रतिवादी साक्षी 11 दलीप सिंह ने यह साबित किया है कि प्रीतम सिंह ने एक प्रोनोट निष्पादित करते हुए, वर्ष 1959 में उससे 3,000/- रुपए उधार लिया था । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि प्रीतम सिंह ने अपने पांच बच्चों का विवाह भी किया है ।'

25. हमारे सुविचारित राय में, विधिक आवश्यकता के इस प्रश्न पर उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कारण और निकाले गए निष्कर्ष कि क्या प्रीतम सिंह द्वारा वाद भूमि का विक्रय करते समय इस मामले में विधिक आवश्यकता विद्यमान थी या नहीं, इसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उच्च न्यायालय द्वारा अभिलेख पर के साक्ष्यों का मूल्यांकन करते हुए, सही ही विचार व्यक्त किया गया है ।

26. साक्ष्य में यह आया है कि प्रथमतः, कुटुम्ब पर दो ऋण धारित थे और द्वितीयतः, कुटुम्ब को, कुटुम्ब से संबंधित कृषि भूमि में सुधार करने के

लिए भी धन की आवश्यकता थी । प्रीतम सिंह को कुटुम्ब का कर्ता होने के नाते ऋण दायित्व का उन्मोचन करने के लिए कुटुम्ब से संबंधित वाद भूमि का विक्रय करने और अपने कुटुम्ब के भरणपोषण के लिए कृषि भूमि में सुधार करने के लिए कुछ धन खर्च करने का सभी प्रकार से अधिकार था ।

27. हमारे सुविचारित राय में, इसलिए, कर्ता (प्रीतम सिंह) द्वारा पैतृक संपत्ति का विक्रय करने के लिए विधिक आवश्यकता तथ्यों पर आधारित था । दूसरे शब्दों में, प्रतिवादी अपने इस भार का निर्वहन करने में समर्थ हुए हैं कि उनके द्वारा यह साबित कर दिया गया है कि प्रतिवादी सं. 2 और 3 के पास वाद भूमि का विक्रय करने के लिए विधिक आवश्यकता विद्यमान थी । इस प्रकार प्रतिवादियों ने हिन्दू विधि में अधिकथित परीक्षण का समाधान कर दिया है जैसा कि उपर्युक्त उद्धृत मुल्ला द्वारा अनुच्छेद 254(2) के साथ पठित अनुच्छेद 241(क)(छ) में है ।

28. हमारे मत में, जब एक बार विधिक आवश्यकता की विद्यमानता के तथ्य साबित हो जाते हैं तो किसी भी सहदायिक (पुत्र) को अपने कुटुम्ब के कर्ता द्वारा किए गए विक्रय को चुनौती देने का अधिकार नहीं होता है । वादी, पुत्र होने के नाते अपने पिता-प्रीतम सिंह के साथ सहदायिकों में से एक है । उसे उसके विरुद्ध अभिलिखित होने के नाते विधिक आवश्यकता के निष्कर्ष के प्रकाश में, ऐसे विक्रय को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है । इतना ही नहीं, वादी किसी भी साक्ष्य द्वारा यह साबित करने में असफल रहा है कि वाद भूमि का विक्रय करने के लिए कोई विधिक आवश्यकता नहीं थी अथवा यह कि विधिक आवश्यकता के विद्यमानता के तथ्य को साबित करने के लिए प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य या तो अपर्याप्त था या असुसंगत था या किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं था ।

29. इसलिए, हमारी यह सुविचारित राय है कि उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कारण और निकाले गए निष्कर्ष न्यायोचित और समुचित है । इसलिए, हम उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए मत से सहमत हैं, और इसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।

30. पूर्ववर्ती चर्चा को ध्यान में रखते हुए, अपील असफल होती है और तद्नुसार, खारिज की जाती है ।

अपील खारिज की गई ।

क.